न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 53/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये, प्रवर्तनअधिकारी,बाड़मेर		1.मिसराराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी कागोडा ग्राम पंचायत सेसावा,तहसील चितलवाना जिला जालोर 2.संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जाति, ओसवाल निवासी चौहटन 3.रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति, ओसवाल निवासी चौहटन तहसील, बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण एक तरफा।

निर्णय दिनांक 18.07.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2015 को समय 04.30 पी.एम. परथानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को सूचना दी गई कि मध्य रात्रि दिनांक 11.09.2015 एंव 12.09.2015 को सरहद तेजियावास पर श्री सांगसिंह एएसआई रामजी कीगोल पुलिस चौकी जाब्ता के साथ चौहटन से गुजरात की तरफ ट्रक संख्या GJ–8U–2758 को रूकवाकर चैक किया तो उसमें गेहूँ की बोरिया भरी पाई गई।ट्रक ड्राईवर मिसराराम को गेहूँ की बोरियो के बिल बिल्टी नहीं होने से ट्रक मय गेहूँ पुलिस थाना गुड़ामालानी में खड़ा करवाया गया।इस पर श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर, श्री खेमराज प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा,श्री प्रदीप मालवीय नायब तहसीलदार(कार्यावाहक प्रवर्तन निरीक्षक)गुड़ामालानी जॉच हेतु पुलिस थाना गुड़ामालानी पहुँचने पर मौके पर रूबरू गवाहान श्री सांगसिंह एएसआई,एंव आसुदान कानिस्टेबल पुलिस थाना गुड़ामालानी व ट्रक ड्राईवर मिसराराम के समक्ष ट्रक संख्या GJ–8U–2758 की जॉच की गई।ट्रक ड्राईवर से पूछताछ करने पर अपना ड्राईविंग लाईसेंस नम्बर RJ–16/DLC/19655दिनांक 11.06.2014 एंव ट्रक का राष्ट्रीय परमिट 8/PN/NP/20/213/147 पेश किया। जिसके अनुसार ट्रक का मालिक मेहराम खां/मतार खां सिंधी निवासी तीन बत्ती पालनपुर गुजरात होना पाया।ट्रक ड्राईवर से मौतबिरान के समक्ष पूछताछ करने पर गेहूँ का एक बिल एंव तौल पर्ची पेश की, जिसके

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनुसार गेहूँ दिनांक 11.09.2015 को बिल कंमाक 605 द्वारा मैसर्स रमेश ट्रेडिग कम्पनी चौहटन द्वारा भेजा जाना पाया,जो मैसर्स पीके इण्डस्ट्रीज नाकोड़ा अहमदाबाद को 200 बोरी वजन 200 क्विंटल भेजा जाना दर्शाया,तौल पर्ची मैसर्स संजय ग्वार गम इण्डस्ट्रीज बाखासर रोड,चौहटन की पाई गयी।जिसके अनुसार ट्रक GJ-8U-2758 मे शुद्ध वजन ण204.40 क्विंटल पाया गया।इस सम्बन्धमें ड्राईवरमिसराराम ने गेहूँ दिनांक 11.09.2015 को उसे संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी चौहटन द्वारा फर्म मैसर्स संजय ग्वार गम इण्डस्ट्रीज बाखासर रोड चौहटन से 200 बोरी गेहूँ भरवाया गयाथा जो अहमदाबाद भिजवाया जाना था।श्री संजय कुमार द्वारा किराया 55/- रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। फैक्ट्री के तौल कांटे पर गाडी का वजन कराने पर उसका वजन 204.40 क्विंटन हुआ ड्राईवर मिसराराम ने गेहूँ उसे संजय कुमार ने अपनी फैक्ट्री मे भरवाया। गेहूँ कालाबाजारी से खरीदा हुआ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने की उसे जानकारी उसे नहीं होने एंव उसे धोखे में रखकर अवैध गेहूँ ले जाने हेतु रवाना करना बताया।इस पर मैसर्स संजय कुमार ग्वार गम इण्डस्ट्रीज बाखासर रोड चोहटन का निरीक्षण करने पर की गई जॉच एंव ट्रक डाईवर द्वारा पेश किये गये बिल संख्या 605 दिनांक 11.09.2015 के अनुसार मैसर्स रमेश ट्रेडिग कम्पनी चोहटन का मालिक रमेश कुमार/मोहनलाल के समक्ष चौहटन स्थित उसकी दुकान व गोदाम का निरीक्षण किया गया।फर्म का स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने पर फर्म द्वारा मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स से 05.09.2015,06.09.2015 में 200 बोरी नग (गेहूँ)वजन 200 क्विंटल गेहूँ खरीदना दर्ज पाया।फर्म मालिक से मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स का बिल वाउचर मांगने पर बिल कंमाक 16 दिनांक 04.09.2015 का एस.एस.मार्केट यार्ड,डीसा गुजरात से जारी होना पाया गया।फर्म मालिक श्री रमेश कुमार द्वारा दिनांक 04.09.2015 को डीसा गुजरात से 200 नग वजन 200 क्विंटल गेहूँ खरीद कर दिनांक 11.09.2015 को ट्रक संख्या GJ-8U-2758 से 200 नग गेहूँ वजन 200 क्विंटल को अजमदाबाद गुजरात की फर्म मैसर्स पी.के. इण्डस्ट्रीज को भेजना बताया है।यह व्यवहार संदेहास्प्राद होने के कारण फर्म मैसर्स रमेश ट्रेडिंग कम्पनी चौहटन का स्टॉमक रजिस्टर,बिल बुक तथा मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स का बिल वास्ते जॉच लिया गया।जॉच में मैसर्स ट्रेडिंग कम्पनी चौहटन के रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 11.09.2015एंव 12.09.2015 कीमध्य रात्रि के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गये GJ-8U-2758 के अवैध रूप से गेहूँ परिवहन को बचानेहेतु फर्जी रिकॉर्ड आफटर थोट तैयार किये जाने की कार्रवाई होना एंव मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स डीसा गुजरात के बिल एंव फर्म की जॉच करने पर एस.ए.स.मार्केट डीसा मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स के भौतिक रूप से स्थापित नहीं पाया गया तथा मण्डी यार्ड के गेट पास की रिकॉर्ड कीप्रति दिनांक 04.09.2015 की प्राप्त की जिसमें वाचमैन श्री दशरथभाई दानाभाई देसाई ने दिनांक 04.09.2015 को ट्रक संख्या GJ-8U-2758यहॉ से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाडमेर

मालभरकरनण्डी से नहीं जाना बताया।डीसा गुजरात से वापिस गुड़ामालानी थाना पहुँचकर ट्रक संख्या GJ-8U-2758 का धर्मा कांटा बजरंग कम्प्यूटराईजड वेट ब्रीज धोरीमन्ना से तौर करवाने पर गेहूँ का शुद्ध वजन 204.30 क्विंटल मय बारदाना पाया गया। सम्पूर्ण जॉच में ट्रक में 200 बोरी गेहूँ वनज 204.30 क्विंटल मय बारदाना संजय कुमार पुत्र मोहनलाल द्वारा अवैध रूप से गेहूँ कालाबाजारी मेंसार्वजनिक वितरण प्रणाली के खरीदकर बेचा जाना पाया गया तथा इस कृत्य को कूटरचित दस्तावेजी फर्जी साक्ष्य तैार करने का कार्य रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल मैसर्स रमेश ट्रेडिंग कम्पनी चौहटन द्वारा किया जाना पाये जाने से संजय कमार पुत्र मोहनलाल,रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल निवासीचौहटन,ट्रक ड्राईवर मिसराराम,ट्रक मालिक मेहराम खां/मलार खां सिंधी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणालीके गेहूँ का कालाबाजारी में खरीद कर अवैध रूप से विक्रय एंव परिवहन करने बरामद 204.30 क्विंटल गेहू मय बारदाना एंव वाहन ट्रक संख्या GJ-8U-2758 को बरामद कर उसका निस्तारण करने हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया।

2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। बरामद वाहन के खराब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वाहन संख्या GJ-8U-2758 वाहन मालिक के खास मुख्तायार हैदर खा पुत्र माठा खा जाति मुसलमान निवासी आकल तहसील चौहटन को पॉच लाख रूपये की जमानत एंव इसी कदर राशि के सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने के आदेश दिये गये और गेहूँ, के खराब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इनका अन्तरिम निस्तारण कर अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त गेहूँ की कुल राशि 3,21,732/ राज्य कोष में जमा कराई गई।
3. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।
4. वक्त बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ता हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा आदेश पारित किये। प्रार्थी की ओर से अभियोजक अधिकारी की बहस सुनी। अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि बरामद गेहूँ राशन के गेहूँ है जो अप्रार्थीगण द्वारा अवैध परिवहन एंव कय कर गेहूँ का दुरूपयोग कर खुले बाजार में बेचान करने हेतु परिवहन किया जा रहा था। जॉच के दौरान गेहूँ फर्जी तरीके खरीदना व बेचाना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ कालाबाजारी में खरीद कर अवैध रूप से गेहूँ विक्रय करने एंव परिवहन करने का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के दण्ड अपराध होने से बरामद गेहूँ,एंव वाहन जब्त सरकार किये जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

5. हमने अभियोजक अधिकारी बाड़मेर की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दिनांक 12.09.2015 को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर द्वारा पुलिस थाना पहुँचने एंव ट्रक ड्राईवर अप्रार्थी संसख्या 01मिसराराम से पूछताछ करने पर वाहन ट्रक संख्या GJ-8U-2758 का मालिक मेहराम खां पुत्र मतार खा सिंधी निवासी तीन बती पालनपुर,गुजरात होना पाया एंव गेहूँ का बिल एंव तौल पर्ची पेश करने पर गेहूँ दिनांक 11.09.2015 को बिल कंमाक 605 द्वारा मैसर्स रमेश ट्रेडिग कम्पनी चौहटन द्वारा भेजा जाना पाया,जो मैसर्स पीके इण्डस्ट्रीज नाकोड़ा अहमदाबाद को 200 बोरी वजन 200 क्विंटल भेजा जाना दर्शाया,तौल पर्ची मैसर्स संजय ग्वार गम इण्डस्ट्रीज बाखासर रोड,चौहटन की पाई गयी। ड्राईवर मिसराराम ने गेहूँ दिनांक 11.09.2015 को उसे संजय कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी चौहटन द्वारा फर्म मैसर्स संजय ग्वार गम इण्डस्ट्रीज बाखासर रोड चौहटन से 200 बोरी गेहूँ भरवाया गया था जो अहमदाबाद भिजवाया जाना बताया गेहूँ कालाबाजारी से खरीदा हुआ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने की उसे जानकारी उसे नहीं होने व उसे धोखे में रखकर अवैध गेहूँ ले जाने हेतु रवाना करना बताया। ट्रक डाईवर द्वारा पेश किये गये बिल संख्या 605 दिनांक 11.09.2015 के अनुसार मैसर्स रमेश ट्रेडिग कम्पनी चोहटन का मालिक रमेश कुमार/मोहनलाल के समक्ष चौहटन स्थित उसकी दुकान व गोदाम एंव फर्म का स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने पर फर्म द्वारा मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स से 05.09.2015, 06.09.2015 में 200 बोरी नग (गेहूँ)वजन 200 क्विंटल गेहूँ खरीदना दर्ज पाया। फर्म मालिक द्वारा प्रस्तुत मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स का बिल कंमाक 16 दिनांक 04.09.2015 का एस. एस.मार्केट यार्ड,डीसा गुजरात से जारी होना पाया गया। फर्म मालिक श्री रमेश कुमार द्वारा दिनांक 04.09.2015 को डीसा गुजरात से 200 नग वजन 200 क्विंटल गेहूँ खरीद कर दिनांक 11.09.2015 को ट्रक संख्या GJ-8U-2758 से 200 नग गेहूँ वजन 200 क्विंटल को अहमदाबाद गुजरात की फर्म मैसर्स पी.के. इण्डस्ट्रीज को भेजना बताया है। मामला संदेहास्प्राद होने के कारण फर्म मैसर्स रमेश ट्रेडिंग कम्पनी चौहटन का स्टॉक रजिस्टर,बिल बुक तथा मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स डीसा गुजरात के बिल एंव फर्म की जॉच करने पर एस.ए.स.मार्केट डीसा मैसर्स भुवाल ट्रेडर्स के भौतिक रूप से स्थापित नहीं पाया गया तथा मण्डी यार्ड के गेट पास की रिकॉर्ड की प्रति अनुसार दिनांक 04.09.2015 को ट्रक संख्या GJ-8U-2758यहॉ से माल भर कर मण्डी से नहीं जाना बताया। सम्पूर्ण जॉच में ट्रक में 200 बोरी गेहूँ वजन 204.30 क्विंटल मय बारदाना संजय कुमार पुत्र मोहनलाल द्वारा अवैध रूप से गेहूँ कालाबाजारी मेंसार्वजनिक वितरण प्रणाली के खरीदकर बेचा जाना पाया गया तथा इस कृत्य को कूटरचित दस्तावेजी फर्जी साक्ष्य तैार करने का कार्य रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल मैसर्स रमेश ट्रेडिंग कम्पनी चौहटन द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

किया जाना पाये जाने से संजय कमार पुत्र मोहनलाल रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल निवासीचौहटन,ट्रक ड्राईवर मिसराराम,ट्रक मालिक मेहराम खां/मलार खां सिंधी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणालीके गेहूँ का कालाबाजारी में खरीद कर अवैध रूप से विक्रय एंव परिवहन करना पाया गया।इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा राशन के गेहूँ कम कीमत पर खरीदकर अधिक मूल्य में बेचने हेतु ट्रक संख्या GJ–8U–2758से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निर्दोष साबित कराने का भार (बर्डन आफ प्रुफ) अप्रार्थीगण पर है। जब न्यायालय द्वारा संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया तो यह भार अप्रार्थीगण पर है कि वह यह साबित करे कि उसके द्वारा किया गया कृत्य पूर्ण रूप से वैध था, जिसे साबित करने में अप्रार्थीगण पूर्ण रूप से असफल रहे है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार उक्त गेहूँ अवैध रूप से खरीदा जाकर कालाबाजारी करने हेतु परिवहन करना एंव अप्रार्थीगण का इसमें शामिल होना साबित है। अतः अप्रार्थी संजयकुमार,रमेश कुमार एंव ट्रक ड्राईवर मिसराराम एंव ट्रक मालिक मेहराम खां द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ का कालाबाजारी में खरीद कर अवैध से विक्रय करने हेतु परिवहन करने का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 का उल्लघन होने से बरामद गेहूँ, जब्त सरकार करने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से 204.30 क्विंटल मय बारदाना गेहूँ परिवहन हेतु वाहन ट्रक संख्याGJ–8U–2758 उपयोग में लिया गया है। anyanimal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such essential commodity के सम्बन्ध में धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम के दूसरे परन्तुक में यह प्रावधान है कि–

Provided furrher that in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for y the carriage of goodsor passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the essential commodity sought to be carried by such animal, vehicle, vessel or other conveyance.

अतः प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया कुल 204.30 क्विंटल गेहूँ मय बारदाना के परिवहन हेतु वाहन ट्रक GJ–8U–2758 उपयोग मे लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए)के उक्त परन्तुक का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिक मेहरा खां पुत्र मतार खां सिंधी निवासी तीन बत्ती,पालनपुर गुजरात पर 3,21,700–अक्षरे रूपये तीन लाख ईक्कीस हजार सात सौ जुर्माना आरोपित किया जाता है। मेहरा खां जुर्माना की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

से निर्णय तारीख 18.07.2018 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। एक माह की अवधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण से बरामद 204.30 क्विंटल को राजसात (CONFISCATE) किया जाता है। चूँकि बरामद गेहूँ का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है।लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि कुल राशि रूप्ये 3,21,732/–राज्य कोष में जमा हो। है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner